International Journal Of Advances In
ENGINEERING, SCIENCE, COMMERCE, MANAGEMENT AND LAW
International Journal of Advances in Engineering, Science, Commerce, Management, and Law
ISSN : 3048-8427 (Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal)

Original Article

पर्यावरण नीति और कानून

विकास शिशौदिया (शोधार्थी)
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग
श्रीगुरु रामराय विश्वविद्यालय,देहरादून
Dr.Arti Mishra Baloni
Assistant Professor
School of liberal Arts
Uttaranchal University, Dehradun

सन्दर्भ – पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। इन समस्याओं को नियंत्रित करने और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए विभिन्न नीतियाँ और कानून बनाए गए हैं। बढ़ते औद्योगीकरण, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के मध्य यह पर्यावरणीय नीतियां और कानून अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण नीति एक ऐसा ढांचा है जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान और सतत् विकास को सुनिश्चित करने के लिए नियमों, कानूनों और प्रक्रियाओं का निर्माण करती है। यह नीति समाज और सरकार के प्रयासों को संगठित करती है ताकि प्रदूषण, जैव विविधता के नुकसान जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को हल किया जा सके। पर्यावरण नीति का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना है, जिससे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। यह नीति विभिन्न स्तरों पर कार्य करती है, जैसे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक पर्यावरण नीति के अंतर्गत वन संरक्षण, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, और कचरा प्रबंधन जैसी पहलें शामिल होती हैं। इसके अतिरिक्त यह उद्योगों, समाज और व्यक्तिगत स्तर पर पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है। पर्यावरण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों, नागरिक समाज, और विशेषज्ञों का सहयोग आवश्यक होता है। सतत् विकास और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए इस नीति का पालन और निरंतर सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है।पर्यावरण नीति के उद्देश्य सतत् प्रबंधन के तहत वृक्षारोपण, जल संरक्षण, और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का विकास शामिल है। इसके माध्यम से संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाता है और अनावश्यक दोहन को रोका जाता है। प्रदूषण पर नियंत्रण,जैव विविधता का संरक्षण तथा पर्यावरण नीति के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करने, हरित ऊर्जा स्रोतों को अपनाने, और जलवायु अनुकूलन योजनाओं को बढ़ावा दिया जाता है। यह नीति कृषि, जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखकर कदम उठाने पर भी जोर देती है। पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए पर्यावरण नीति का एक उद्देश्य जनता में जागरूकता फैलाना है। स्कूलों, कॉलेजों, और समुदाय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, और पुनर्चक्रण जैसी गतिविधियों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी का अहसास कराया जाता है। इस जागरूकता के बिना नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन संभव नहीं है।[1]

भारत में पर्यावरण नीति– भारत में पर्यावरण संरक्षण और प्रबंधन के लिए पर्यावरण नीति एक महत्वपूर्ण साधन है। यह नीति देश के प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने और सतत् विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। भारत में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने के लिए कई कानून और नीतियां समय–समय पर लागू की गई हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में जो जून 1972 में स्टॉकहोम में हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन के पश्चात् भारत ने पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। 1980 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत् भारत में पर्यावरण नीति को एक संगठित ढांचा प्रदान किया गया। इसके माध्यम से वायु, जल और भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम बनाए गए।पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण और स्वच्छ

ऊर्जा के लिए नई नीतियां लागू की हैं। स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) जैसी योजनाएं पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार के प्रयासों का हिस्सा हैं। इन नीतियों का उद्देश्य न केवल पर्यावरणीय समस्याओं को कम करना है, बल्कि स्थानीय समुदायों को सतत् विकास में भागीदार बनाना भी है। हालांकि, इन नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए जन जागरूकता और सामूहिक भागीदारी की आवश्यकता है।

भारत में पर्यावरण कानूनः संरक्षक के रूप में–भारत में पर्यावरण संरक्षण और सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण कानून एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में प्रकृति के संरक्षण की परंपरा रही है। आधुनिक औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने पर्यावरण को कई चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर किया। इन समस्याओं के समाधान के लिए, भारत सरकार ने विभिन्न कानूनों और नीतियों को लागू किया, जो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने में सहायक हैं। सन् 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत की भागीदारी के पश्चात्, पर्यावरण संरक्षण को एक नीतिगत प्राथमिकता दी गई। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, 1974, वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, 1981 और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) जैसे प्रावधान इन प्रयासों के प्रमुख उदाहरण हैं। ये कानून पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को संरक्षित करने के साथ–साथ प्रदूषण को नियंत्रित करने और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रभावी उपाय प्रदान करते हैं। इन कानूनों की भूमिका केवल संसाधनों की रक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे नागरिकों और संस्थाओं को पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित भी करते हैं। इस प्रकार, भारत में पर्यावरण कानून न केवल प्रकृति के संरक्षक हैं, बल्कि सतत् विकास की दिशा में एक मजबूत आधारशिला भी प्रदान करते हैं।

भारत में प्रमुख पर्यावरण कानून–पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986–पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 भारत का एक व्यापक कानून है, जिसे पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए लागू किया गया। यह अधिनियम 1986 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद लागू किया गया था। इसका उद्देश्य प्रदूषण पर नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा सतत् विकास को बढ़ावा देना है।[2] इस अधिनियम का उद्देश्य पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना। प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपाय करना। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना। पर्यावरणीय खतरों के खिलाफ सुरक्षात्मक कदम उठाना आदि है।

केंद्र सरकार को प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के लिए मानक स्थापित करने की शक्ति दी गई है।

सरकार प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने का आदेश दे सकती है। किसी भी क्षेत्र को पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील घोषित कर सकती है।सरकार प्रदूषण फैलाने वाले उत्सर्जन और निस्तारण के मानक तय कर सकती है। पर्यावरणीय खतरों की रोकथाम के लिए विशेष दिशानिर्देश जारी कर सकती है।यदि कोई व्यक्ति या संस्था अधिनियम का उल्लंघन करती है, तो उसे दंडित किया जा सकता है।

यह दंड पाँच साल तक की कैद, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। सरकार को प्रदूषण नियंत्रण के लिए रिपोर्ट और डेटा प्राप्त करने और उस पर कार्रवाई करने की शक्ति है।

अधिनियम के तहत् प्राधिकरण–पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत सरकार ने विभिन्न प्राधिकरणों का गठन किया है, जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB),राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB)

ये संस्थाएँ प्रदूषण पर निगरानी रखने, कानूनों को लागू करने, और जनता को जागरूक करने का कार्य करती हैं।

अधिनियम के महत्व

समग्र पर्यावरण संरक्षण–यह अधिनियम प्राकृतिक संसाधनों के सतत् उपयोग और उनके संरक्षण को बढ़ावा देता है। तथा इस अधिनियम के तहत सरकार को शक्तियाँ दी गई हैं, जिससे प्रदूषणकारी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो पाया है।

चुनौतियाँ– कानून का कमजोर अनुपालन,जागरूकता की कमी तथा संसाधनों की कमी।

समाधान–जनता की भागीदारी बढ़ाना,सख्त दंड और निगरानी तथा शिक्षा और जागरूकता अभियान।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (1986), पर्यावरणीय सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल प्रदूषण को नियंत्रित करता है, बल्कि संसाधनों के सतत् उपयोग को भी प्रोत्साहित करता है। हमें इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने और पर्यावरण संरक्षण में

अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 भारत का पहला प्रमुख पर्यावरण कानून है, जिसे जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने और स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लागू किया गया। यह अधिनियम भारत के जल संसाधनों की गुणवत्ता को बनाए रखने और उनके सतत् उपयोग को सुनिश्चित करने में सहायक है।[3] इस अधिनियम के उद्देश्य जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना। नदियों, झीलों, तालाबों, और अन्य जल निकायों की स्वच्छता बनाए रखना। प्रदूषणकारी उद्योगों पर नियंत्रण करना तथा स्वच्छ और सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) बोर्ड जल प्रदूषण रोकने के उपाय तैयार करने, लागू करने, और उनकी निगरानी करने के लिए उत्तरदायी हैं।

प्रदूषणकारी इकाइयों पर नियंत्रण– उद्योगों को जल निकायों में अपशिष्ट जल डालने से पहले आवश्यक स्वीकृति लेनी होती है तथा जल प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाना अनिवार्य है।

अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या उद्योग को दंडित किया जा सकता है। दंड में जुर्माना, कैद, या दोनों शामिल हो सकते हैं।

केंद्रीय और राज्य बोर्डों की भूमिकाएँ–केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसे 1974 में जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। यह देश में पर्यावरण की गुणवत्ता की निगरानी और सुधार करने के लिए प्रमुख संस्था है। CPCB का मुख्य उद्देश्य वायु, जल और मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करना और पर्यावरणीय कानूनों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत प्रदूषण स्तर की निगरानी, उद्योगों द्वारा उत्सर्जन मानकों की निगरानी, और स्वच्छता व पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना शामिल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) राज्य बोर्डों के क्रियाकलापों में समन्वय करता है। उनके मध्य के विवादों को भी सुलझाता है। CPCB न केवल पर्यावरणीय गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी प्रदान करता है, बल्कि यह प्रदूषण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का मार्गदर्शन भी करता है। यह स्वच्छ गंगा अभियान, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम (NAQM) और प्रदूषण मुक्त तकनीकों को बढ़ावा देने जैसे विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाता है। CPCB की पहलें भारत को पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं।[4]

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB)–राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) प्रत्येक राज्य में स्थापित वैधानिक निकाय हैं, जो पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य करते हैं। SPCB की स्थापना "जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974" और "वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981" के तहत् की गई है। इनका मुख्य उद्देश्य राज्यों में जल, वायु और मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करना और सतत् विकास को बढ़ावा देना। SPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के दिशा–निर्देशों के तहत कार्य करते हैं और प्रदूषण की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर योजनाएँ बनाते हैं। SPCB उद्योगों और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों की निगरानी करते हैं, प्रदूषण मानकों का पालन सुनिश्चित करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। ये बोर्ड जल और वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी, जन जागरूकता कार्यक्रम, और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) में भी शामिल होते हैं। SPCB स्थानीय सरकारों, गैर–सरकारी संगठनों (NGO), और जनता के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं, जिससे प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके।[5]

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जल प्रदूषण से निपटने और जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी कानून है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस अधिनियम का पालन करें और जल संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएँ। स्वच्छ जल न केवल मानव जीवन के लिए, बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए अनिवार्य है।

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

वायु प्रदूषण वर्तमान समय की एक गंभीर समस्या है, जो न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है, बल्कि मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता

पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसे नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 लागू किया। यह अधिनियम वायु प्रदूषण की रोकथाम और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एक व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।

इस अधिनियम का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और रोकथाम करना। वायु की गुणवत्ता को बनाए रखना और उसमें सुधार करना, औद्योगिक और वाहन उत्सर्जन पर नियंत्रण लगाना तथा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा करना।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ

प्राधिकरण का गठन– केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB): वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB): राज्य स्तर पर वायु प्रदूषण रोकने के उपाय लागू करता है।

नियंत्रित क्षेत्र घोषित करना–सरकार किसी भी क्षेत्र को नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर सकती है, जहाँ वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए विशेष उपाय किए जाएँ।

प्रदूषणकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध–उद्योगों और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उत्सर्जन मानक तय किए गए हैं। प्रदूषणकारी उद्योगों को लाइसेंस और सरकारी स्वीकृति लेना अनिवार्य है।

सजा और दंड–अधिनियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। दंड में पाँच साल तक की कैद या जुर्माना (या दोनों) शामिल हैं।

जनता की भागीदारी–जनता को वायु प्रदूषण रोकने के उपायों में शामिल होने और इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित किया गया है।[6]

प्राधिकरणों की भूमिकाएँ

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की भूमिकाएँ–केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) भारत में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाता है। इसकी मुख्य भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं:

प्रदूषण नियंत्रण के मानकों की स्थापना– जल, वायु और अन्य प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मानक और दिशानिर्देश तय करता है। यह उद्योगों, वाहनों और अन्य स्रोतों से होने वाले प्रदूषण की निगरानी करता है।

पर्यावरणीय गुणवत्ता की निगरानी– बोर्ड जल, वायु और मृदा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी कार्यक्रम चलाता है, जैसे कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग प्रोग्राम (NAQM)।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का मार्गदर्शन–राज्य बोर्डों को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है, ताकि प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियम प्रभावी तरीके से लागू हो सकें।

जन जागरूकता और अनुसंधान– CPCB प्रदूषण के खतरों और पर्यावरणीय समस्याओं पर जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाता है। साथ ही, यह पर्यावरणीय सुधार के लिए शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करता है।

प्रदूषण के उल्लंघनों पर कार्रवाई–CPCB पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन की स्थिति में जांच करता है और आवश्यक कार्रवाई करता है। यह औद्योगिक इकाइयों और परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मानदंडों का पालन सुनिश्चित करता है। इन भूमिकाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है और भारत को सतत विकास की दिशा में ले जाने में मदद करता है।[7]

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) की भूमिकाएँ–राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) प्रत्येक राज्य में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। उनकी प्रमुख भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं:-

प्रदूषण मानकों का कार्यान्वयन– SPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा निर्धारित मानकों और दिशा–निर्देशों का अपने राज्य में पालन सुनिश्चित करता है। यह उद्योगों, निर्माण परियोजनाओं और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों की निगरानी कर प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करता है।

2.पर्यावरणीय अनुमति और निरीक्षण- SPCB औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयों को कार्य करने के लिए पर्यावरणीय अनुमति प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि इकाइयाँ जल, वायु, और मृदा प्रदूषण के मानकों का पालन करें। इसके साथ ही, बोर्ड नियमित निरीक्षण और निगरानी करके उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई करता है।

3.जल और वायु गुणवत्ता की निगरानी– राज्य में जल और वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए डेटा संग्रह करता है और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपाय सुझाता है। यह राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर जल और वायु गुणवत्ता सुधार के लिए काम करता है।

4.जन जागरूकता और शिक्षा- SPCB स्थानीय समुदायों को पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूक बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। यह पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के सतत उपयोग और प्रदूषण के प्रभावों पर जनता को शिक्षित करता है।

5.स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान– SPCB राज्य की भौगोलिक और औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण नीतियाँ बनाता और लागू करता है। यह राज्य की विशेष पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करता है और स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर काम करता है।

अधिनियमों और नीतियों का क्रियान्वयन– SPCB जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 सहित विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन भूमिकाओं के माध्यम से SPCB राज्य स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण को सुनिश्चित करने में योगदान देता है।[8]

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के महत्व–वायु गुणवत्ता में सुधार यह अधिनियम वायु गुणवत्ता को बनाए रखने और उसमें सुधार करने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह अधिनियम स्वास्थ्य सुरक्षा तथा स्वच्छ वायु मानव स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने और वायु–जनित बीमारियों को रोकने में सहायक है। पर्यावरणीय संतुलन अधिनियम वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों और अन्य प्रदूषकों के स्तर को नियंत्रित करता है।

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की चुनौतियाँ और समाधान

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी पहल है। हालांकि, इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की कमी। प्रदूषण के मानकों का पालन न करने वाले उद्योगों और वाहनों पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं की जाती है। तकनीकी और वित्तीय संसाधनों की कमी, विशेषकर छोटे और मध्यम शहरों में, वायु गुणवत्ता की प्रभावी निगरानी और सुधार को बाधित करती है। एक अन्य प्रमुख चुनौती है जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण। वाहनों और औद्योगिक गतिविधियों की संख्या में वृद्धि के कारण प्रदूषण के स्रोत लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोमास जलाने और शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों से उत्सर्जित धूल वायु गुणवत्ता को खराब करती है। इन सभी कारकों के पश्चात् जागरूकता की कमी और जनता की भागीदारी की सीमित भूमिका इस समस्या को और गंभीर बनाती है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रभावी नीति निर्माण और सख्त क्रियान्वयन आवश्यक है। कानून के तहत प्रदूषण मानकों का सख्ती से पालन करवाने के लिए केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को मजबूत और सशक्त बनाना होगा। उद्योगों और वाहनों द्वारा मानकों के उल्लंघन पर कठोर दंड लागू करना जरूरी है। वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग और डेटा का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा। दीर्घकालिक समाधान के लिए हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करना और इलेक्ट्रिक वाहनों का व्यापक उपयोग सुनिश्चित करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को सुलभ बनाकर बायोमास जलाने की प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है। शहरीकरण प्रदूषण कम करने के लिए योजनाबद्ध निर्माण और वृक्षारोपण जैसे कदम उठाए जाने चाहिए।

सुझाव –अधिनियम की चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार, उद्योग और जनता को मिलकर काम करना होगा। तकनीकी नवाचार, वित्तीय सहायता और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से दीर्घकालिक और स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जा सकता है। वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 को प्रभावी बनाने के लिए इन कदमों को उठाना आवश्यक है, ताकि स्वच्छ वायु और स्वस्थ जीवन

का अधिकार प्रत्येक नागरिक को मिल सके। वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, भारत के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण, और सतत् विकास के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह इस अधिनियम का पालन करे और स्वच्छ वायु के लिए योगदान दे।

जैव विविधता अधिनियम, 2002

भारत, विश्व की सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले देशों में से एक है। यहाँ विविध जलवायु, भूभाग, और पारिस्थितिकी तंत्रों के कारण जीवों और वनस्पतियों की एक विशाल संख्या पाई जाती है। यह अधिनियम भारत की जैव विविधता को संरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। भारत में जैव विविधता के संरक्षण और उसके सतत् उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 लागू किया गया। यह अधिनियम प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन, परंपरागत ज्ञान की सुरक्षा, और जैव विविधता से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुरूप बनाया गया है।

इस अधिनियम का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों का सतत् उपयोग, जैव संसाधनों से लाभ प्राप्त करने में स्थानीय समुदायों को हिस्सेदारी देना तथा परंपरागत ज्ञान की सुरक्षा और अनुचित उपयोग को रोकना।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ—जैव विविधता प्राधिकरण का गठन

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)
- राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBB)
- स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMC)

ये संस्थाएँ जैव विविधता संरक्षण, नियमन, और सतत् उपयोग के लिए काम करती हैं। विदेशी व्यक्ति या संस्थाएँ भारत के जैव संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान का उपयोग बिना अनुमति के नहीं कर सकते। अधिनियम परंपरागत ज्ञान और लोक विधियों के संरक्षण पर जोर देता है, जिससे स्थानीय समुदायों के अधिकार सुरक्षित रहें। यदि किसी जैव संसाधन का व्यावसायिक उपयोग किया जाता है, तो उससे होने वाले लाभ का एक हिस्सा स्थानीय समुदायों को दिया जाता है। स्थानीय स्तर पर जैव विविधता रजिस्टर बनाए जाते हैं, जिसमें सभी जैविक संसाधनों का रिकॉर्ड होता है। यह भारत से प्राप्त जैव संसाधनों पर किये गए शोध पर आधारित किसी भी आविष्कार पर बौद्धिक संपदा अधिकारो का दावा करता है।[9]

महत्व—यह अधिनियम जैविक संसाधनों को संरक्षित करने और विलुप्त हो रही प्रजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। लाभ—साझेदारी के माध्यम से स्थानीय समुदायों की आजीविका में सुधार करता है। जैव विविधता संरक्षण से पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। जैविक संसाधनों के सतत उपयोग से आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की चुनौतियाँ और समाधान

जैव विविधता अधिनियम, 2002 को भारत की जैव विविधता की सुरक्षा और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। हालांकि, इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ सामने आई हैं। पहली चुनौती है अधिनियम के प्रति जागरूकता और समझ की कमी। स्थानीय समुदायों, उद्योगों, और सरकारी निकायों के मध्य इस कानून के उद्देश्य और प्रावधानों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, जिससे इसकी प्रभावशीलता सीमित हो जाती है। दूसरी चुनौती है संसाधनों की कमी। जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) को पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता नहीं मिलती, जिससे वे प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पातीं। साथ ही, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण के नाम पर वनों की कटाई, भूमि उपयोग में बदलाव, और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाने और अधिनियम के उद्देश्यों के प्रति स्थानीय समुदायों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। सरकारी और गैर—सरकारी संगठनों को मिलकर सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। इसके अलावा, जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता बढ़ाई जानी चाहिए। संवेदनशील

क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण के लिए सख्त नियम लागू किए जाने चाहिए। भूमि उपयोग और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) को और अधिक कठोर बनाना आवश्यक है। इसके साथ ही, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय संसाधनों के उपयोग पर स्थानीय समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करना अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद करेगा। अधिनियम की चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार, स्थानीय निकायों और समुदायों के मध्य समन्वय आवश्यक है। कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। दीर्घकालिक रणनीतियाँ, जैसे कि संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण, सतत कृषि को बढ़ावा देना, और जागरूकता अभियान, जैव विविधता अधिनियम, 2002 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।

भारत की जैव विविधता

भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र और 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं:

हिमालय,पश्चिमी घाट,इंडो–बर्मा,सुंदरलैंड (अंडमान और निकोबार द्वीप)।

यह अधिनियम इन सभी क्षेत्रों की जैव विविधता को संरक्षित करने में सहायक है।

जैव विविधता अधिनियम, 2002, न केवल पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह पारिस्थितिक संतुलन और सतत विकास को भी प्रोत्साहित करता है। भारत की जैव विविधता को बचाने के लिए इस कानून का पालन करना और स्थानीय समुदायों को इस प्रक्रिया में शामिल करना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण और उसके सतत उपयोग को सुनिश्चित करना है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

भारत का वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 देश की जैव विविधता और वन्यजीवों को संरक्षित करने के लिए एक ऐतिहासिक कानून है। इस अधिनियम का उद्देश्य वन्यजीवों और उनके आवासों की सुरक्षा करना और उनके शिकार, अवैध व्यापार, और शोषण को रोकना है। यह अधिनियम संरक्षित क्षेत्रों, जैसे राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, और आरक्षित वनों की स्थापना का प्रावधान करता है। इसके तहत वन्यजीवों को छह अनुसूचियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें से प्रत्येक के लिए सुरक्षा का अलग स्तर निर्धारित है। इस अधिनियम ने कई संकटग्रस्त प्रजातियों, जैसे बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, और एक सींग वाले गैंडे, को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संसाधनों की कमी और अवैध शिकार जैसी चुनौतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।[10]

इस अधिनियम का उद्देश्य–वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा,शिकार और वन्यजीव उत्पादों के व्यापार पर रोक लगाना, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य स्थापित करना तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ

वन्यजीवों के शिकार पर रोक : अधिनियम के तहत् वन्यजीवों के शिकार और उन्हें नुकसान पहुँचाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसमें पक्षी, स्तनधारी, सरीसृप, और अन्य जंतु शामिल हैं। संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना

राष्ट्रीय उद्यान (National Parks),वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuaries),संरक्षित क्षेत्र (Protected Areas)आदि ये क्षेत्र वन्यजीवों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करते हैं।

पर्यावरण संरक्षण के लिए संस्थाएँ का निर्माण किया गया हैं।–राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (National Wildlife Board): यह वन्यजीव संरक्षण की नीतियाँ और योजनाएँ तैयार करता है। राज्य वन्यजीव बोर्ड (State Wildlife Board): राज्य स्तर पर संरक्षण उपाय लागू करता है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) का महत्व–यह अधिनियम वन्यजीवों और उनके आवासों को संरक्षण प्रदान करता है, जिससे जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। **विलुप्ति रोकथाम** –यह अधिनियम विलुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या बढ़ाने और उन्हें प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। **पर्यावरणीय संतुलन**– वन्यजीवों की सुरक्षा से पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। **शिक्षा और जागरूकता**–यह अधिनियम संरक्षण के प्रति जनता में जागरूकता बढ़ाने और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने में सहायक है।

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (1972) की चुनौतियाँ और समाधान–वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के लागू होने के पश्चात्, इसके

प्रभावी क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ सामने आती हैं। सबसे बड़ी चुनौती है अवैध शिकार और वन्यजीवों का अवैध व्यापार, जो दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्ति की कगार पर धकेल देता है। आर्थिक लाभ के लिए स्थानीय शिकारी और अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट इस गतिविधि में शामिल होते हैं। वन्यजीवों के आवास का विनाश, वनों की कटाई, और शहरीकरण के कारण उनके प्राकृतिक पर्यावास में लगातार कमी हो रही है। एक अन्य चुनौती है कानून के प्रति जागरूकता और क्रियान्वयन की कमी। ग्रामीण और वन क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर इस अधिनियम के प्रावधानों और उनके महत्व से अनभिज्ञ होते हैं। साथ ही, वन विभाग और संरक्षण एजेंसियों के पास संसाधनों और कुशल मानवशक्ति की कमी है, जिससे कानून का प्रभावी कार्यान्वयन बाधित होता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए अवैध शिकार और व्यापार के खिलाफ सख्त कार्रवाई और निगरानी तंत्र की आवश्यकता है। सीमा क्षेत्रों और संरक्षित क्षेत्रों में उच्च तकनीकी उपकरण, जैसे ड्रोन और कैमरा ट्रैप, का उपयोग करके निगरानी को मजबूत किया जा सकता है। वन्यजीव अपराधों के लिए कठोर दंड और त्वरित न्याय प्रक्रिया लागू करनी चाहिए, ताकि अपराधियों को रोकने का प्रभावी संदेश दिया जा सके। साथ ही, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने के लिए योजनाबद्ध शहरीकरण और वृक्षारोपण अभियानों को बढ़ावा देना चाहिए। मानव–वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर कार्य करना आवश्यक है। इसके लिए उन्हें वैकल्पिक आजीविका के साधन प्रदान करना और उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए उन्हें संरक्षण प्रयासों में शामिल करना चाहिए। वन्यजीव संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण और वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इस अधिनियम के महत्व के बारे में शिक्षित किया जा सकता है। संरक्षण परियोजनाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी न केवल वन्यजीवों की रक्षा करेगी, बल्कि उनकी आजीविका को भी बढ़ावा देगी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 को प्रभावी बनाने के लिए सरकार, गैर–सरकारी संगठनों, और जनता के बीच सामंजस्यपूर्ण सहयोग आवश्यक है। दीर्घकालिक रणनीतियों, जैसे संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार, संवेदनशील प्रजातियों का संरक्षण, और आधुनिक तकनीकी उपायों का उपयोग, इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। सतत् विकास और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के प्रयास वन्यजीव संरक्षण को अधिक प्रभावी बना सकते हैं।

भारत में प्रमुख संरक्षित क्षेत्र

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम (एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध) है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड (बाघ संरक्षण के लिए प्रमुख)है, गिर अभयारण्य, गुजरात (एशियाई शेर का आवास) तथा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल (रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध)।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, भारत की जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अधिनियम का पालन करना न केवल सरकार का, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यदि हम वन्यजीवों को सुरक्षित रखेंगे, तो हम पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित कर सकेंगे।[11]

अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौते पेरिस समझौता और क्योटो प्रोटोकॉल

विश्वव्यापी पर्यावरणीय समस्याएँ, जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, और वनों की कटाई, केवल एक देश की समस्या नहीं हैं, बल्कि ये वैश्विक चुनौती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और समझौतों की आवश्यकता होती है। पेरिस समझौता और क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से निपटने के लिए दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं।

क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol)–क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे सन् 1997 में जापान के क्योटो शहर में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के तहत अपनाया गया और यह सन् 2005 में लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों (GHG) के उत्सर्जन को नियंत्रित करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। यह प्रोटोकॉल औद्योगिक देशों और यूरोपीय संघ पर बाध्यकारी लक्ष्यों को लागू करता है, क्योंकि ये देश ग्रीनहाउस गैसों के बड़े उत्सर्जक माने जाते हैं।[12]

ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती–क्योटो प्रोटोकॉल के तहत् छह प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2), मीथेन (CH_4), नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O), हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs), परफ्लोरोकार्बन (PFCs), और सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF_6) – के

उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया है।

यह औद्योगिक देशों को सन् 1990 के स्तर के आधार पर 2008–2012 की अवधि के समय औसतन 5% उत्सर्जन में कटौती करने के लिए बाध्य करता है। प्रोटोकॉल इस बात को स्वीकार करता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक और साझा जिम्मेदारी की आवश्यकता है।

क्योटो प्रोटोकॉल का प्रभाव तथा भविष्य–क्योटो प्रोटोकॉल ने जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक जागरूकता बढ़ाई और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रारंभिक प्रयास किए। इसके पश्चात् पेरिस समझौता, 2015 को लागू किया गया, जो क्योटो प्रोटोकॉल की जगह लेता है और सभी देशों को अपने–अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के तहत उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य प्रदान करता है। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुभवों ने यह सिखाया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग, तकनीकी नवाचार और सभी देशों की भागीदारी आवश्यक है।

पेरिस समझौता (Paris Agreement)–पेरिस समझौता, जिसे कॉप 21 (COP21) के तहत 2015 में पेरिस में अपनाया गया था, एक अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संधि है, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, और प्रयास करना है कि इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जाए। यह समझौता 196 देशों के बीच सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए एक साझा और समग्र प्रयास को निर्धारित करता है। पेरिस समझौता को ऐतिहासिक माना जाता है क्योंकि इसमें सभी विकसित और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी–अपनी जिम्मेदारियाँ और प्रतिबद्धताएँ तय करने की स्वीकृति दी गई है।[13]

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)–राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) में प्रत्येक देश को यह स्वीकृति दी जाती है कि वह अपने राष्ट्रीय संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदम उठाने के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करेगा। देशों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे समय–समय पर अपने NDCs को बढ़ाते और सुधारते रहें, ताकि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सके। NDCs को प्रत्येक 5 साल में अपडेट किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि देशों के योगदान में निरंतर वृद्धि हो।

आर्थिक सहायता और वित्तीय सहायता–पेरिस समझौते के तहत् विकसित देशों से अपेक्षित है कि वे विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और अपने विकास के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों और वित्तीय संसाधनों के लिए सहायता प्रदान करें। 2020 तक, विकसित देशों द्वारा 100 बिलियन डॉलर का वार्षिक वित्तीय योगदान देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचने और अनुकूलन उपायों को अपनाने के लिए सहायता प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, पेरिस समझौता स्थायी और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता को बढ़ावा देता है।

यह समझौता देशों को अपनी जलवायु नीति को अनुकूलन उपायों के साथ जोड़ने और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रेरित करता है। इससे जलवायु संकट से निपटने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण तैयार होता है।

पेरिस समझौते की चुनौतियाँ और भविष्य–पेरिस समझौता एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। एक बड़ी चुनौती यह है कि सभी देशों को अपने–अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन और इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। विकसित देशों द्वारा वित्तीय और प्रौद्योगिकियों की मदद का समुचित वितरण सुनिश्चित करना भी एक चुनौती है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देशों के मध्य सहयोग और उनकी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। भविष्य में, यह आवश्यक होगा कि सभी देशों को मिलकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिक प्रभावी कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि वैश्विक तापमान में वृद्धि को सीमित किया जा सके और पृथ्वी को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाया जा सके। पेरिस समझौता और क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक स्तर पर उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। हालाँकि इनकी प्रभावशीलता क्रियान्वयन और देशों की प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। इन समझौतों की सफलता के लिए सभी देशों का सहयोग, जागरूकता, और सतत् प्रयास आवश्यक है।

निष्कर्ष–भारत में पर्यावरण नीति और कानून का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि देश में तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, और जनसंख्या वृद्धि पर्यावरणीय संकटों को जन्म दे रहे हैं। इन संकटों में वायु और जल प्रदूषण, मृदा क्षरण, जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएँ प्रमुख हैं। इन मुद्दों से निपटने के लिए पर्यावरण नीति और कानूनों की आवश्यकता है, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो सके और सतत् विकास को बढ़ावा दिया जा सके। भारत में पर्यावरण कानूनों का उद्देश्य न केवल प्रदूषण को नियंत्रित करना है, बल्कि जैव विविधता के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करना भी है। ये कानून प्रदूषण की निगरानी और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर कड़ी निगरानी रखते हैं। भारत की पर्यावरण नीति और कानून राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करती हैं। पर्यावरणीय विकास को बढ़ावा देने और सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिए यह नीतियाँ और कानून महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(SPCB) जैसी संस्थाएँ पर्यावरण कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये बोर्ड प्रदूषण के स्तर की निगरानी करते हैं, उद्योगों पर नज़र रखते हैं और नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई करते हैं। इन संस्थाओं द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो लोगों को प्रदूषण के खतरे और उसे नियंत्रित करने के उपायों के बारे में जानकारी देते हैं। भारत में पर्यावरण कानूनों का एक और महत्व यह है कि ये प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों को भी शामिल करते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, और जलवायु परिवर्तन नीति भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए दिशा प्रदान करती है। पर्यावरण नीति और कानून का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। भारत में पर्यावरण नीति और कानूनों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये पर्यावरणीय क्षति के लिए जिम्मेदारी तय करने का काम करते हैं और समाज को न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं। जब कंपनियाँ या व्यक्ति पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें दंडित किया जाता है, जिससे यह संदेश जाता है कि पर्यावरण की सुरक्षा केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक और संस्था की जिम्मेदारी है। इन नीतियों और कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन से भारत एक स्वच्छ, स्वस्थ और स्थिर पर्यावरण की दिशा में अग्रसर हो सकता है।

सन्दर्भ सूची–

1. राष्ट्रीय पर्यावरण नीति,2006 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, Sikkimforest.gov.in,5.18,19 march 2025.

2. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 , https://www.drishtiias.com 6.57am, 16 march 2025.

3.https://cpcb.nic.in, 3.06pm,4 march2025.

4.https://cpcb.nic.in,3.7 pm,26 april2025.

5. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 https://www.enviscecb.org/pdf, 7.23am,1 april 2025.

6. https://www.indiacode.in,6.01am,7 april 2025.

7. https://cpcb.nic.in,3.26 pm,7april2025

8. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, https://www.indiacode.in 4.05pm,18april 2025.

9. जैविक विविधता अधिनियम 2002,PIB https://pib.gov.in,7.33am, 2 april2025.

10. https://www.indiankanoon.org,11.07am,10 april 2015.

11.https://mpforest.gov.in,11.15am,10april 2015.

12.https://www.britannica.com 6.07 am,7april2025.

13.www.nrdc.org 6.15 am, 7april2025.